

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सच्चिदानन्द चौधरी,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

प्राचार्य,
अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज,
गया।

पटना, दिनांक- 19/03/2018

विषय:- अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज, गया, विपत्र कोड-20-2210051050007 को स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में वेतन एवं भत्ते तथा अन्य मदों में तृतीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त कुल रू० 1,78,12,000/- (रुपये एक करोड़ अठहत्तर लाख बारह हजार) मात्र के अतिरिक्त आवंटन की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्राचार्य, अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज, गया के पत्रांक-183, दिनांक-29.01.2018 के आलोक में अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज, गया को विपत्र कोड-20-2210051050007 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में संलग्न विवरणी के अनुसार वेतन एवं भत्ते तथा अन्य मदों में तृतीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त कुल रू० 1,78,12,000/- (रुपये एक करोड़ अठहत्तर लाख बारह हजार) मात्र के अतिरिक्त आवंटन की स्वीकृति दी जाती है।


2. यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561/वि०(2) दिनांक-17.04.1998, 2880/वि०(2) दिनांक-06.05.06, 96/वि०(2), दिनांक-09.01.08 सह-पठित संकल्प सं०-2190/वि०(2), दिनांक-17.03.08, 2938/वि०(2), दिनांक-08.04.08 एवं 3388/वि०(2) दिनांक-18.04.2011 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है एवं इनके प्रावधानों के अनुपालन की जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्राचार्य, अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज, गया होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना होंगे।

4. इस राशि के व्यय का वहन माँग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-0007-मगध मेडिकल कॉलेज, विपत्र कोड-20-2210051050007 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में तृतीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त राशि से किया जायेगा।


5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरुद्ध नियमानुसार नियुक्त एवं पदस्थापित कर्मियों का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे।

6. आवंटित राशि की व्यय विवरणी कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि सहित प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त आवंटन से किये गये व्यय का महालेखाकार, बिहार, पटना द्वारा सत्यापित कराकर सत्यापित प्रतिवेदन भी विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। महालेखाकार का सत्यापित प्रतिवेदन अप्राप्त होने की स्थिति में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आने पर इसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी।



7. यह मात्र आवंटन है, व्यय की स्वीकृति नहीं। इस राशि से क्रय संबंधी कार्य वित्त नियमावली एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों/अनुदेशों के आलोक में निर्धारित शर्तों के तहत किया जाएगा।
8. इस आवंटनादेश द्वारा 0007.52.01 मशीनें एवं उपस्कर-कार्यालय ईकाई में आवंटित राशि में संस्थान एवं इसके प्रयोगशालाओं के मशीनों एवं उपस्कर के मरम्मत एवं रखरखाव के लिए भी राशि शामिल है।
9. इस आवंटन से पूर्व के बकाये का भुगतान किया जा सकता है। न्यायादेश से आच्छादित मामलों में बकाये के भुगतान में प्राथमिकता दी जाय। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी लंबित दायित्वों के भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित हो लें कि बकाये की निकासी पूर्व में नहीं की गई है और दावा नियमानुकूल है।
10. इस राशि की निकासी जिला कोषागार, गया से की जाएगी।
11. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को दी जा रही है।
12. इसमें प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन /


19/3/18

(सच्चिदानन्द चौधरी)

सरकार के विशेष सचिव


ज्ञापांक:-1/अ0कॉ0-02/2017- 108(1)क/स्वा0, पटना, दिनांक-19 / 03 / 2018

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-प्रमण्डलीय आयुक्त, गया/जिलाधिकारी, गया/कोषागार पदाधिकारी, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा-1), स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-1/संबंधित सहायक को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


19/3/18

सरकार के विशेष सचिव

मगध मेडिकल कॉलेज, गया, विपन कोड-20-2210051050007 को वित्तीय वर्ष 2017-18 में राशि का अतिरिक्त आवंटन

विषय शीर्ष	बजट उपबंध	वृत्तीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त उपबंध	कुल उपबंध	पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन	शेष राशि
0007.01.01 वेतन	105075000	1343000	106418000	105075000	1343000	106418000	0
0007.01.02 विशेष वेतन	0	0	0	0	0	0	0
0007.01.03 जीवन यापन भत्ता	131851000	76000	131927000	131851000	76000	131927000	0
0007.01.04 मकान किराया भत्ता	12540000	73000	12613000	12540000	73000	12613000	0
0007.01.06 चिकित्सा भत्ता	495000	7000	502000	495000	7000	502000	0
0007.01.07 अन्य भत्ता	39000	0	39000	39000	0	39000	0
योग- वेतन एवं भत्ते	250000000	1499000	251499000	250000000	1499000	251499000	0
0007.13.01 कार्यालय व्यय	10000000	6713000	16713000	10000000	6713000	16713000	0
0007.13.02 वाहन का ईंधन एवं रख रखाव	100000	50000	150000	100000	50000	150000	0
0007.13.05 विधि प्रभार	60000	500000	560000	60000	500000	560000	0
0007.21.01 सामग्री एवं पूर्तियाँ	1000000	1000000	2000000	1000000	1000000	2000000	0
0007.21.02 दवा भण्डार	300000	50000	350000	300000	50000	350000	0
0007.52.01 मशीनें एवं उपकरण - कार्यालय	12500000	8000000	20500000	12500000	8000000	20500000	0
कुल योग :-	273960000	17812000	291772000	273960000	17812000	291772000	0

(रुपये एक करोड़ अठहत्तर लाख बाव्ह हजार)

108(1) अं.
19-03-2018

सरकार के विशेष सचिव

19/3/18